एक ईसाई बुज़ुर्ग के कुछ सवाल

मौलाना सैयद अबुल-आला मौदूदी (रह०)

दो शब्द

मौलाना सैयद अबुल-आला मौदूदी (रह०) को एक ईसाई बुज़ुर्ग ने एक सवालनामा भेजा था, जिसमें हज़रत ईसा (अलैहि०) के बारे में कुछ सवाल किए गए थे कि जब हज़रत ईसा (अलैहि०) को फिर से दुनिया में आना है तो फिर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को पैग़म्बर बनाकर क्यों भेजा गया?

सवाल करनेवाले बुज़ुर्ग ने इसी तरह के कई सवाल मौलाना मौदूदी (रह०) से किए। मौलाना ने मज़बूत दलीलों के साथ इत्मीनानबख़्श तरीक़े से उनका जवाब दिया।

ये सवाल और उनका जवाब उर्दू रिसाले "तर्जमानुल-कुरआन, अगस्त, सन् 1935 ई० के अंक में प्रकाशित हुआ था बाद में 'तनक़ीहात' नामी किताब में इसे शामिल किया गया। 'तनक़ीहात' मौलाना मौदूदी (रह०) के मज़ामीन (लेखों) का संग्रह है।

चूँकि आज भी ये सवाल बहुत से लोगों के दिलों में पाए जाते हैं, इसलिए हमने इसे हिन्दी ज़बान में किताब की शक्ल में प्रकाशित किया है।

हमें उम्मीद है कि मौलाना का यह लेख बहुत मफ़ीद साबित होगा।

—नसीम ग़ाज़ी फ़लाही
सेक्रेट्री
इस्लामी साहित्य ट्रस्ट
(दिल्ली)

बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
'अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहमवाला है।'

एक ईसाई बुज़ुर्ग के कुछ सवाल

सवाल

पूरी उम्मीद है कि एक सच्चाई को जानने की तलब रखनेवाले मुहक्क़िक़ (खोजी और अन्वेषक) के नीचे लिखे सवालों पर 'तर्जमानुल-कुरआन' के माध्यम से प्रकाश डालते हुए न केवल सवाल करनेवाले को, बल्कि सभी पाठकों को भी शुक्रिया का मौक़ा देंगे—

1. कुरआन ने ईसा (अलैहि०) के बारे में चार वादे बयान किए हैं। चौथा वादा है—

> "और तेरा अनुपालन करनेवालों को क़ियामत तक उन लोगों पर प्रतिष्ठित रखूँगा जिन्होंने तेरा इनकार किया है।"
>
> (कुरआन, सूरा-3 आले-इमरान, आयत-55)

ईसा (अलैहि०) की पैरवी करनेवाले और ईसा (अलैहि०) के इनकारी दोनों के वुजूद का क़ियामत के क़ायम होने तक पाया जाना इस बात को लाज़िम करता है कि मसीह के माननेवाले ईसा (अलैहि०) की पैरवी पर क़ायम रहें और पैरवी के लिए ईसा (अलैहि०) की हिदायत और तालीम (शिक्षा) का क़ायम और महफ़ूज़ रहना और फिर क़ियामत तक महफ़ूज़ रहना ज़रूरी है, जिससे लाज़िम आता है कि ईसा (अलैहि०) ही क़ियामत तक अपनी तालीम, शिक्षा और दाइमी हिदायत के मुताबिक़ हमेशा के लिए हिदायत देनेवाले हैं। अगर यह सच है तो बीच में इस्लाम और इस्लाम के पैग़म्बर के वुजूद (अस्तित्व) को घुसेड़ने के क्या मानी? दूसरे इस्लाम का बाद में आना पहली तसलीमशुदा सूरत के बरख़िलाफ़ मालूम होता है।

2. इस्लाम के माननेवालों के नज़दीक अगर मसीह (अलैहि॰) आसमान पर ज़िन्दा हैं और वही आनेवाले हैं, इस्लाम के पैग़म्बर के आने से पहले भी वही और बाद में भी वही, तो इस सूरत में बीच में इस्लाम और पैग़म्बर (सल्ल॰) के आने का क्या मतलब, जबकि ईसा मसीह (अलैहि॰) की पैरवी करनेवालों के ग़लबे का वादा बग़ैर किसी अन्तराल के मुसलसल क़ियामत तक के लिए पेश किया जा चुका है?

> 3. "अब अगर तुझे इस हिदायत की तरफ़ से कुछ भी शक हो, जो हमने तुझपर उतारी है तो उन लोगों से पूछ ले जो पहले से किताब पढ़ रहे हैं। सचमुच यह तेरे पास हक़ (सत्य) आया है तेरे रब की तरफ़ से। इसलिए तू शक (सन्देह) करनेवालों में न हो।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-10 यूनुस, आयत-94)

इस आयत से यह ज़ाहिर होता है कि जब ख़ुद इस्लाम के पैग़म्बर (सल्ल॰) भी क़ुरआन की वह्य (प्रकाशना) के बारे में शक में पड़ जाते थे, तो इस सूरत में शक को निकालने के लिए आप (सल्ल॰) को हुक्म हुआ कि किताबवालों से आप (सल्ल॰) अपने शक को निकलवा लीजिए, जिससे वाज़ेह है कि यह क़ुरआन इस्लाम के पैग़म्बर (सल्ल॰) को भी शक में डालनेवाली चीज़ है और किताबवालों की किताब और तालीम ऐसी चीज़ है कि क़ुरआन मजीद के बारे में शक रखनेवाले के शक को भी वही दूर करती है, तो इस सूरत में भी इस्लाम और इस्लाम के पैग़म्बर (सल्ल॰) के आने से और मसीह (अलैहि॰) के बाद आने से क्या फ़ायदा हुआ? और क़ुरआन मजीद के बारे में तो यह है, लेकिन तौरात के बारे में लिखा है—

> "उनसे कहो : अगर तुम (अपनी आपत्ति में) सच्चे हो तो लाओ तौरात और पेश करो उसकी कोई इबारत।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-3 आले-इमरान, आयत-93)

जिससे साफ़ ज़ाहिर है कि तौरात से सुबूत हासिल हो सकता है और वह इस सूरत में कि महफ़ूज़ हो और उसमें कोई चीज़ न तो बदली गई हो और न घटाई-बढ़ाई गई हो। और यह सूरत भी पहले पेश की गई सूरत की ताईद

करती है।

उम्मीद है कि आप इन तीनों सवालों पर, जिनका मतलब और निचोड़ एक ही है, ईमानदारी के साथ सविस्तार प्रकाश डालेंगे, वरना आपकी ख़ामोशी या ग़लत और नाक़ाबिले-इत्मीनान जवाब से कई इज़्ज़तदार और पढ़े-लिखे मुसलमान ईसाई होनेवाले हैं और सात आदमी तो ईसाई हो चुके हैं। शायद आप अभी तक बेख़बर ही हों। हैदराबाद में अन्दर-ही-अन्दर आपको मालूम है कि क्या हो रहा है? और क़ुदरत शाह ख़ाँ मुबश्शिर मसीही के ट्रैक्ट 'ख़त बनाम मुसलमानाने-हैदराबाद' ने क्या कुछ तहलका मचा दिया है कि कई ख़ानदानों-के-ख़ानदान ईसाई होने के लिए तैयार हो रहे हैं।

(आपका मुख़लिस एक मुहक़्क़िक़)

जवाब

ख़त लिखनेवाले कोई मसीही (ईसाई) पादरी मालूम होते हैं, जिन्होंने मुसलमान बनकर सवाल करने की कोशिश की है। अगर वे एक सच्चे ईसाई की तरह सामने आकर सवाल करते तो ज़्यादा बेहतर होता और इस सूरत में भी उनके सवाल का जवाब उसी मुहब्बत से दिया जाता, जिसके साथ एक भटके हुए मुसलमान को दिया जा सकता है। ख़ैर एतिराज़ जताने के तरीक़े के चुनने में वे आज़ाद हैं। हमारा काम बहरहाल उनके सवालात का जवाब देना और उन्हें मुत्मइन करने की कोशिश करना है।

1. सबसे पहले मैं आपको उस बड़ी और बुनियादी ग़लती पर सचेत कर देना ज़रूरी समझता हूँ, जो न सिर्फ़ आपने की है, बल्कि एतिराज़ करनेवाले ईसाई आमतौर पर करते रहते हैं। वह ग़लती यह है कि आप लोग जब इस्लाम और पैग़म्बरे-इस्लाम का शब्द बोलते हैं तो उससे आपका मतलब यह होता है कि यह एक नए मज़हब (धर्म) का नाम है जिसका आरम्भ सातवीं सदी ईसवी में हुआ और मुहम्मद (सल्ल॰) इसके बानी थे। इसी वजह से आपकी समझ में यह नहीं आता कि अगर तौरात और इनजील हक़ थीं और मूसा (अलैहि॰) और ईसा (अलैहि॰) हक़ थे तो उनके बाद 'इस्लाम' क्यों आया और 'पैग़म्बरे-इस्लाम' के भेजने की क्या ज़रूरत पड़ गई। लेकिन

क़ायदे की बात है कि अगर आप किसी की पकड़ करना चाहते हों तो उसके उस दावे पर कीजिए जो उसने खुद किया हो, न कि उस इलज़ाम पर जो आप ज़बरदस्ती उसके सिर मढ़ दें। मुहम्मद (सल्ल॰) ने यह कब कहा था कि मैं एक नए मज़हब की बुनियाद डाल रहा हूँ और मेरे इस नए बनाए हुए मज़हब का नाम इस्लाम है? वे तो इस बात के सिरे से दावेदार ही नहीं हैं। उनका दावा तो यह है कि मैं उसी मज़हब को लेकर आया हूँ जिसे मुझसे पहले ईसा, मूसा, इबराहीम और नूह (अलैहि॰) लेकर आए थे और उस मज़हब का नाम हमेशा से इस्लाम (खुदा की फ़रमाँबरदारी) ही था, न कि यहूदियत या ईसाइयत। फिर वे उन पिछले पैग़म्बरों के बाद अपने आने की वजह जो बयान करते हैं, उसमें भी कहीं यह दावा नहीं है कि मूसा (अलैहि॰) और ईसा (अलैहि॰) की शिक्षाएँ दुनिया से बिलकुल मिट गई थीं या बिलकुल मस्ख़ (विकृत) हो गई थीं इसलिए भेजा गया हूँ, बल्कि वे जो कुछ कहते हैं वह सिर्फ़ यह है कि अव्वल तो तौरात और इनजील में तहरीफ़ (मिलावट) हो गई है, दूसरे इस मिलावट के बावजूद जो ख़ुदाई तालीमात उन दोनों में साफ़-साफ़ पाई जाती हैं उनसे हटकर मूसा (अलैहि॰) के पैरौओं ने एक नया निज़ाम (व्यवस्था) 'यहूदियत' के नाम से और ईसा (अलैहि॰) के पैरौओं ने एक दूसरा निज़ाम 'मसीहियत' के नाम से बना लिया है और इन दोनों मज़हबों (धर्मों) में बहुत-सी ऐसी बातें दीन की बुनियाद बना ली गई हैं जो उस इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं जिसे मूसा (अलैहि॰) और ईसा (अलैहि॰) लेकर आए थे। इसलिए ज़रूरत पेश आई कि फिर इस्लाम की अस्ल तालीम (शिक्षा) को उसकी अस्ल और ख़ालिस सूरत में मिलावट से छाँटकर दुनिया के सामने पेश किया जाए और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं भेजा गया हूँ। यह है मुहम्मद (सल्ल॰) का अस्ल दावा। अब अगर आप पकड़ करना चाहते हैं तो इस दावे पर कीजिए। यह आख़िर बहस और तहक़ीक़ का कौन-सा तरीक़ा है कि एक आदमी की तरफ़ आप ख़ुद ही अपने-आप एक दावा ख़ामख़ाह मंसूब करते हैं—जिसका वह सख़्ती के साथ इनकार करता है—और फिर उसके दावे पर नहीं, बल्कि अपने मंसूब किए हुए दावे पर आपत्तियाँ जताना शुरू कर देते हैं। यह ग़लती आज से नहीं, एक मुद्दत

से ईसाई आलिम कर रहे हैं और यही ग़लती है जिसपर उनके ज़्यादातर एतिराज़ात की बुनियाद क़ायम है। अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि पहले आप ठंडे दिल से इस बात की खोज-बीन करें कि मुहम्मद (सल्ल०) का अस्ल दावा वह है जो मैं बयान कर रहा हूँ या वह जो आप उनकी तरफ़ मंसूब कर रहे हैं? फिर अगर साबित हो कि उनका सचमुच दावा वही है जो मैंने पेश किया है तो यह देखें कि क्या वह सही है या नहीं?

क्या यह सच नहीं है कि सारे पैग़म्बरों (अलैहि०) का मज़हब 'इस्लाम' (ख़ुदा की फ़रमाँबरदारी) था? क्या वे हमेशा रहनेवाली सच्चाइयाँ जिनको मानने और जिनके मुताबिक़ अख़लाक़ व आमाल (कर्मों) को ढालने पर इनसान की नजात (मोक्ष) का आधार है, हमेशा से वही नहीं रहे हैं जिनकी तरफ़ मुहम्मद (सल्ल०) ने दावत दी है? क्या ख़ुदा के यहाँ इनसान की नजात की बुनियाद इबराहीम (अलैहि०) और इसहाक़ (अलैहि०) के ज़माने में कुछ और उसूलों पर, मूसा (अलैहि०) और ईसा (अलैहि०) के ज़माने में कुछ दूसरे उसूलों पर और बाद के ज़माने में उनसे अलग उसूलों पर हो सकता है? अगर आप मानते हैं कि ये उसूल स्थायी और हमेशा से हैं तो नया बनाया हुआ मज़हब यहूदियत और मसीहियत (ईसाइयत) क़रार पाते हैं या इस्लाम? यहूदियत और मसीहियत में तो आप ऐसी बहुत-सी चीज़ें पाएँगे जिनको उसूल (नजात की बुनियाद) का मर्तबा दिया गया है, जबकि वे एक ख़ास नस्ल या एक ख़ास ज़माने तक सीमित हैं। लेकिन मुहम्मद (सल्ल०) की शिक्षाओं में आप कभी और कहीं भी कोई चीज़ ऐसी नहीं पा सकते जो इनसानों के आलमगीर (सार्वभौमिक) और हमेशा रहनेवाले स्थायी उसूलों से बढ़े हुए या उनसे भिन्न हों। इस नज़रिए से आप देखेंगे तो सवाल की नौईयत ही बदल जाएगी। फिर तो सवाल यह न होगा कि मुहम्मद (सल्ल०) बीच में कहाँ आ गए, बल्कि यह होगा कि आदम, नूह, इबराहीम और इसहाक़ (अलैहि०) के वक़्तों से जो अस्ल दीन (इस्लाम) चला आ रहा था, उसके सिलसिले में ये यहूदियत और मसीहियत कहाँ आ दाख़िल हुईं?

2. आपने अपने पहले एतिराज़ में जो आयत नक़्ल की है उसमें मसीह

(अलैहि॰) का इनकार करनेवालों से मुराद यहूदी हैं और मसीह 'ईसा' (अलैहि॰) की पैरवी करनेवालों में ईसाई और मुसलमान दोनों शामिल हैं। और अगर पैरवी (इत्तिबाअ) से मुराद पूर्ण अनुपालन यानी ठीक क़दम-से-क़दम मिलाकर चलना मुराद लिया जाए तब तो इससे मुराद ईसाई नहीं रहते, बल्कि सिर्फ़ मुसलमान ही इससे मुराद क़रार पाते हैं। इसलिए कि ईसाइयों ने सैयदना ईसा (अलैहि॰) की शिक्षा के अस्ल उसूलों को छोड़ दिया और यहूदियों की ही तुलना में एक दूसरे ढंग पर उनके साथ नाफ़रमानी और इनकार का मामला किया। इसके बरख़िलाफ़ मुसलमान उसी शिक्षा पर क़ायम रहे जो ईसा (अलैहि॰) ने और उनसे पहले सभी पैग़म्बरों (अलैहि॰) ने दी थी। दुनिया में अल्लाह के जितने भी नबी और रसूल आए हैं चाहे वे किसी देश और किसी ज़माने में आए हों, उन सबकी एक ही शिक्षा और तालीम थी और वह यह थी कि एक ही ख़ुदा की बन्दगी करो। उनमें से किसी ने यह नहीं कहा कि मुझको ख़ुदा बना लो—

> "किसी इनसान का यह काम नहीं है कि अल्लाह तो उसको किताब और हुक्म और नुबूवत (पैग़म्बरी) अता फ़रमाए और वह लोगों से कहे कि अल्लाह के बजाय तुम मेरे बन्दे बन जाओ। वह तो यही कहेगा कि सच्चे ख़ुदापरस्त बनो।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-3 आले-इमरान, आयत-79)

उसी पवित्र गरोह के एक इनसान ईसा (अलैहि॰) भी थे और उन्होंने भी कभी बन्दगी और बन्दा होने के मक़ाम से बाल बराबर हद से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की—

> "मसीह (ईसा) ने कभी इसको आर न समझा कि वह अल्लाह का बन्दा हो।" (क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-172)

इसी लिए ईसाइयों का तीन ख़ुदा होने का अक़ीदा और ईसा (अलैहि॰) की तरफ़ ख़ुदा होने की निस्बत करना और उनको ख़ुदा का बेटा कहना अस्ल में ईसा (अलैहि॰) की तालीम (शिक्षा) के बिलकुल ही ख़िलाफ़ है और जो लोग ऐसा अक़ीदा रखते हैं, वे ईसा (अलैहि॰) के साथ वैसा ही इनकार का

मामला करते हैं जैसा कि यहूदी करते हैं—

> "यक़ीनन इनकार किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह मरयम का बेटा मसीह ही है, जब कि मसीह ने कहा था कि ऐ बनी-इसराईल! अल्लाह की बन्दगी करो, जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। ...यक़ीनन इनकार किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में का एक है।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-5 माइदा, आयतें-72,73)

इस लिहाज़ से ईसा (अलैहि॰) की पैरवी करनेवालों से अस्ल में मुराद मुसलमान और वे ईसाई हैं जो मसीह 'ईसा' (अलैहि॰) को ख़ुदा का बेटा नहीं, बल्कि उसका पैग़म्बर मानते हैं। उनकी तरफ़ किसी दर्जे में ख़ुदाई को मंसूब नहीं करते और इस सच्चे अक़ीदे के क़ायल हैं—

> "मसीह, मरयम का बेटा ईसा इसके सिवा कुछ न था कि अल्लाह का एक रसूल था और एक आदेश था, जो अल्लाह ने मरयम की तरफ़ भेजा और एक रूह थी अल्लाह की तरफ़ से (जिसने मरयम अलैहि॰ के गर्भ में बच्चे की शक्ल अपना ली)।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-171)

और उसी में आगे है—

> "अल्लाह तो बस एक ही ख़ुदा है। वह पाक है इससे कि कोई उसका बेटा हो।" (क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-171)

अलबत्ता, अगर पैरवी करनेवालों से मुराद मुकम्मल पैरवी करनेवाले न लिए जाएँ तो इस एतिबार से मुसलमानों की तरह ईसाई भी मसीह के पैरौओं में दाख़िल हो जाते हैं और अल्लाह का यह वादा दोनों से सम्बन्धित हो जाता है कि इनको यहूदियों पर ग़लबा (प्रभुत्त्व) प्रदान करे जिन्होंने ईसा मसीह (अलैहि॰) का बिलकुल ही और मुकम्मल तौर से इनकार किया।

3. ईसा मसीह (अलैहि॰) की, और सिर्फ़ उन्हीं की नहीं, बल्कि सारे पैग़म्बरों (अलैहि॰) की हिदायत और तालीम (शिक्षा) अपनी अस्ल के लिहाज़ से क़ायम और सुरक्षित है और क़ियामत तक रहेगी। जैसा कि शुरू में बयान

कर चुका हूँ, मुहम्मद (सल्ल॰) उस तालीम और हिदायत को मिटाने नहीं आए थे, बल्कि उसको साबित और मज़बूत करने और उन मिलावटों से पाक करने आए थे जो इनसानी ख़्वाहिशों, इच्छाओं और इनसानी वसवसों व उकसाहटों की बदौलत उसमें घुल-मिल गई थीं। ईसाइयों से उनकी लड़ाई इस बात पर न थी कि वे मसीह (अलैहि॰) और उनकी शिक्षाओं और हिदायतों को क्यों मानते हैं, बल्कि इस बात पर थी कि वे उनको क्यों नहीं मानते। उन्होंने बार-बार अपने ख़ुदा की तरफ़ से कहा—

"ऐ किताबवालो! अपने दीन (धर्म) में हद से आगे न बढ़ो।"

(क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-171)

और अलग-अलग आयतों में कहा—

"ऐ किताबवालो! तुम हरगिज़ किसी अस्ल (आधार) पर नहीं हो, जब तक कि तौरात और इनजील और उन दूसरी किताबों को क़ायम न करो, जो तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे रब की तरफ़ से उतारी गई हैं।" (क़ुरआन, सूरा-5 माइदा, आयत-68)

"काश इन्होंने तौरात और इनजील और उन दूसरी किताबों को क़ायम किया होता, जो इनके रब की तरफ़ से इनके पास भेजी गई थीं! ऐसा करते तो इनके लिए ऊपर से रोज़ी बरसती और नीचे से उबलती।" (क़ुरआन, सूरा-5 माइदा, आयत-66)

"हमारा हुक्म था कि इनजीलवाले उस क़ानून के मुताबिक़ फ़ैसला करें, जो अल्लाह ने इसमें उतारा है।"

(क़ुरआन, सूरा-5 माइदा, आयत-47)

मगर जब देखा कि ईसा मसीह (अलैहि॰) के अनुयायी सिरे से इनजील को ही खो बैठे हैं और इनजील के नाम से मसीह (अलैहि॰) की कुछ जीवन-कहानियाँ लिए फिरते हैं, जिनमें मसीह की शिक्षा और हिदायत का एक बहुत ही कम हिस्सा और वह भी मिलावट से भरा हुआ पाया जाता है तो मुहम्मद (सल्ल॰) ने ईसाइयों के सामने क़ुरआन पेश किया और कहा कि जो कुछ तुमने खो दिया था, वह पहले से भी ज़्यादा मुकम्मल सूरत में फिर तुम्हारे पास

आ गया है। यह वही तालीम है जो ईसा मसीह (अलैहि॰) ने दी और उनसे पहले मूसा, इबराहीम और नूह (अलैहि॰) दे चुके हैं। तुमने और तुमसे पहले की उम्मतों (समुदायों) ने इस हिदायत को बार-बार खोया है, मगर अब यह हिदायत तुमको ऐसी स्थायी और मज़बूत सूरत में दी जाती है कि क़ियामत तक इसको कोई गुम न कर सकेगा। इसी लिए हक़ीक़त में मत्ती, मरक़स, लूक़ा और यूहन्ना की किताबों में नहीं बल्कि क़ुरआन मजीद में ईसा मसीह (अलैहि॰) की अस्ल तालीम क़ायम और महफ़ूज़ है और वही इन-शाअल्लाह क़ियामत तक महफ़ूज़ रहेगी।

4. आपका यह क़ौल (कथन) भी सोच-विचार करने लायक़ है कि ज़ेरे-बहस आयत से लाज़िम आता है कि "ईसा मसीह (अलैहि॰) ही क़ियामत तक अपनी स्थायी तालीम और हिदायत के अनुसार स्थायी मार्गदर्शक (हादी) हैं।" यह मतलब और मफ़हूम आपके ख़याली विचारों का पैदा किया हुआ है। आयत के शब्द इसपर दलील पेश नहीं करते। वहाँ तो सिर्फ़ इतना ही कहा गया है कि जो तेरा इनकार करते हैं, उनपर हम तेरे पैरौओं को क़ियामत तक ग़ालिब (प्रभावी) रखेंगे। इन शब्दों से ये मानी किस तरह निकाले जा सकते हैं कि अब तू ही स्थायी मार्गदर्शक और हादी है और तेरे बाद यही हिदायत पेश करने के लिए कोई और नबी व पैग़म्बर नहीं भेजा जाएगा? बड़े दुख की बात है कि किताब की आयतों के शब्दों और अर्थों में परिवर्तन करने की पुरानी आदत हमारे ईसाई भाइयों में से अभी तक नहीं गई!

5. मसीह (अलैहि॰) के बाद मुहम्मद (सल्ल॰) के भेजे जाने का मतलब आप हम से पूछने के बजाय खुद मसीह (अलैहि॰) से पूछिए, जिनका यह कथन सारे परिवर्तनों के बावजूद किताब यूहन्ना में अब तक मौजूद है—

> "लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि अगर मैं न जाऊँ तो वह मददगार (तसल्ली देनेवाला या वकील या शिफ़ा देनेवाला) तुम्हारे पास न आए। लेकिन अगर जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा और वह आकर दुनिया को गुनाह और सदाचार व ईमानदारी और अदालत के बारे में क़ुसूरवार ठहराएगा।" (यूहन्ना- 16:7,8)

> क़िबला बनाया गया है) ऐसा पहचानते हैं, जैसा वे अपनी औलाद को पहचानते हैं, मगर उनमें से एक गरोह जानते-बूझते हक़ (सत्य) को छिपा रहा है।" (क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत-146)

> "जिन लोगों को हमने (तुमसे पहले) किताब दी है वे जानते हैं कि यह किताब (क़ुरआन) तुम्हारे रब ही की तरफ़ से हक़ के साथ अवतरित हुई है।" (क़ुरआन, सूरा-6 अनआम, आयत-114)

क़ुरआन मजीद ने अपने सच होने पर बहुत सारी गवाहियों (साक्ष्यों) के साथ एक गवाही पिछले पैग़म्बरों (अलैहि॰) की किताबों से भी पेश की है और उससे नबी (सल्ल॰) को नहीं, बल्कि उन लोगों को संतुष्ट करना मक़सद है जो पिछले पैग़म्बरों की किताबों को तो मानते हैं, मगर क़ुरआन के सच होने में शक करते हैं। इसलिए कि पिछली किताबों की गवाही उन्हीं के लिए मोतबर (विश्वसनीय) हो सकती है। गवाही की इस माँग में कोई बात ऐसी नहीं है जिससे यह मतलब निकाला जा सकता हो कि क़ुरआन शक में डालनेवाली चीज़ है। बात को उसके साफ़ और वाज़ेह मफ़हूम (भावार्थ) से फेरकर पेचीदा और उलझाव भरे मतलब निकालने की कोशिश करना किसी तालिबे-हक़ (हक़ को चाहनेवाले) का काम नहीं है। इन तरीक़ों को ऐसे लोगों के लिए छोड़ दीजिए जो लड़ाई-झगड़ों की उलझनों में अपना समय बरबाद करना चाहते हों।

> 7. "उनसे कहो, अगर तुम (अपनी आपत्ति में) सच्चे हो तो लाओ तौरात और पेश करो उसकी कोई इबारत।"
> (क़ुरआन, सूरा-3 आले-इमरान, आयत-93)

इस जुमले से पहले एक और जुमला था जिसको आपने जान-बूझकर या अनजाने में छोड़ दिया है। पूरी आयत यह है—

> "खाने की ये सारी चीज़ें (जो मुहम्मद सल्ल॰ की शरीअत में हलाल हैं) बनी-इसराईल के लिए भी हलाल थीं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी थीं, जिन्हें तौरात के अवतरित किए जाने से पहले इसराईल (याक़ूब अलैहि॰) ने ख़ुद अपने ऊपर हराम कर लिया था। उनसे कहो :

अगर तुम (अपनी आपत्ति में) सच्चे हो तो लाओ तौरात और पेश करो उसकी कोई इबारत।"

(क़ुरआन, सूरा-3 आले-इमरान, आयत-93)

इस आयत में यहूदियों को यह इलज़ाम दिया गया है कि तुम तौरात के हुक्मों को छिपाते हो और यह इलज़ाम एक जगह नहीं, अनेक जगहों पर दिया गया है। मिसाल के तौर पर एक जगह है–

"ये तुम्हें (अपने मामले में) कैसे जज बनाते हैं, जबकि उनके पास तौरात मौजूद है, जिसमें अल्लाह का हुक्म लिखा हुआ है और फिर ये उससे मुँह मोड़ रहे हैं। अस्ल बात यह है कि ये लोग ईमान ही नहीं रखते।" (क़ुरआन, सूरा-5 माइदा, आयत-43)

क़ुरआन में यहूदियों के दो जुर्म बताए गए हैं। एक जुर्म यह है कि वे किताब में तहरीफ़ (रद्दो-बदल) करते हैं। दूसरा यह कि रद्दो-बदल करने के बावजूद जो कुछ किताब में ख़ुदा की सच्ची तालीम बाक़ी है, उसको भी अपनी ख़ाहिशे-नफ़्स (मन की इच्छाओं) की पैरवी में छिपाते और उसके ख़िलाफ़ अमल करते हैं। यहाँ अगर तौरात से गवाही है तो वह यहूदियों के जुर्म पर है, इससे आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं?

(तर्जुमानुल-क़ुरआन, अगस्त, सन्-1935 ई०)

☆☆

और यह—

"लेकिन जब वह मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ़ से भेजूँगा, यानी सच्चाई की रूह जो बाप की तरफ़ से निकलती है, तो वह मेरी गवाही देगा।" (यूहन्ना- 15:26)

और यह—

"लेकिन मददगार यानी सच्चाई की रूह जिसे बाप मेरे नाम से भेजे वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, वह सब तुम्हें याद दिलाएगा।" (यूहन्ना- 14:26)

और यह—

"इसके बाद मैं तुमसे बहुत-सी बातें न करूँगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझमें उसका कुछ नहीं।" (यूहन्ना- 14:30)

और यह—

"मुझे तुमसे और भी बहुत-सी बातें कहनी हैं, मगर अब तुम उनको सहन नहीं कर सकते। लेकिन जब वह सच्चाई का रूह आएगा तो तुमको सारी सच्चाई की राह दिखाएगा। इसलिए कि वह अपनी तरफ़ से न कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा (भविष्य) की ख़बरें देगा।" (यूहन्ना- 16:12,13)

मसीह (अलैहि॰) के इन कथनों से आप मुहम्मद (सल्ल॰) के भेजे जाने का मतलब अच्छी तरह समझ सकते हैं। 'मसीह के अनुयायियों के ग़लबे (प्रभावी होने) का वादा' जो आपके नज़दीक 'बिना अन्तराल हमेशगी' के मानों (अर्थों) में क़ियामत तक के लिए पेश किया गया है, मुहम्मद (सल्ल॰) के आ जाने से टूटता नहीं बल्कि और ज़्यादा स्थायी और मज़बूत हो जाता है, क्योंकि आप (सल्ल॰) ने आकर मसीह (अलैहि॰) की गवाही दी—

"मसीह, मरयम का बेटा ईसा इसके सिवा कुछ न था कि अल्लाह का एक रसूल था।" (क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-171)

और—

"दुनिया और आख़िरत में सम्माननीय होगा, अल्लाह के निकटतम

बन्दों में शुमार किया जाएगा।"

(क़ुरआन, सूरा-3 आले-इमरान, आयत-45)

और उस झूठे आरोप पर यहूदियों को फिटकार लगाई, जो वे ईसा मसीह (अलैहि॰) और उनकी माँ पर लगाते थे—

"फिर अपने कुफ़्र में ये इतने बढ़े कि मरयम पर सख़्त बोहतान लगाया।" (क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-156)

और वे सब बातें मसीहियों (ईसाइयों) को याद दिलाईं जो मसीह (अलैहि॰) ने उनसे कही थीं—

"हमारा हुक्म था कि इनजीलवाले उस क़ानून के अनुसार फ़ैसला करें, जो अल्लाह ने इसमें अवतरित किया है।"

(क़ुरआन, सूरा-5 माइदा, आयत-47)

ईसा मसीह (अलैहि॰) इसलिए गए थे कि उस दूसरे आनेवाले के लिए जगह ख़ाली कर दें जो उनके बाद आकर उस काम को पूरा करनेवाला था जिसे वे अधूरा छोड़ गए थे।

6. "अगर तुझे उस हिदायत की तरफ़ से कुछ भी शक हो...।"

(क़ुरआन, सूरा-10 यूनुस, आयत-94)

इस आयत में जब कि देखने में ख़िताब (संबोधन) अल्लाह के पैग़म्बर (सल्ल॰) की तरफ़ मालूम होता है, मगर अस्ल में हर वह आदमी इसका मुख़ातब है जो क़ुरआन पढ़े। आयत का भावार्थ यह है कि ऐ पढ़नेवाले या सुननेवाले! अगर तुझे क़ुरआन के अल्लाह की तरफ़ से अवतरित होने में शक है तो जिन लोगों के पास क़ुरआन से पहले आई हुई किताबें मौजूद हैं उनसे पूछ ले, उनकी गवाही से तुझको मालूम हो जाएगा कि यह किताब ख़ुदा ही की तरफ़ से है। यह इशारा है उन भविष्यवाणियों की तरफ़ जो पिछले पैग़म्बरों की किताबों में अरबी नबी मुहम्मद (सल्ल॰) के भेजे जाने के सम्बन्ध में मौजूद हैं। क़ुरआन मजीद में बहुत-सी जगहों पर इस विषय को बयान किया गया है। मिसाल के तौर पर—

"जिन लोगों को हमने किताब दी है वे इस मक़ाम को (जिसे